न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रा...

प्रकरण : संख्या – .... शीर्षक.................................... बनाम..............................

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	10-2-25 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज कार्य भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 5-5-25 को पेश हो।
	05.05.25 पत्रा० पेश हुई। अधि० वादी उप०। प्राप्त [illegible] अनुसार अंतिम डिक्री जारी हेतु निर्णय किया। विस्तृत निर्णय/आदेश पृथक से लिखवाया जाकर प्रा० प्रसा० किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की जावे। सह... कलेक्टर (उप... कारी) राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
प्रकरण संख्या – 79/2020 रे. वाद
दायर तिथि – 19.11.2020
निर्णय तिथि – 05-05-25

अनवान

1. धापुबाई पत्नि गंगाराम माली निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
2. नारायण पिता गंगाराम माली निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।

......................वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पिता गंगाराम माली निवासी मोही तह. व जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द।
3. उप पंजीयक कुंवारिया

..................प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित
वादी की और से अधिवक्ता – श्री मुकेश तलेसरा
प्रतिवादी सं. 1 – अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय

: आदेश :

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, अवलोकन किया गया संक्षिप्त मे इस प्रकार है –

प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.02.2021 को पारित की गई, जिसकी पालना मे तहसीलदार राजसमन्द ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2024/1496 दिनांक 26.06.2024 के द्वारा विभाजन योजना मय फहरिस्त एवं नक्सा ट्रेस प्रेषित की गई। अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार फरमाई जाकर अन्तिम डिक्री जारी किए जाने की ईस्तदुआ की गई। पत्रावली व प्राप्त विभाजन योजना का निरीक्षण किया गया। प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ, अतः तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत की गई विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मोही पटवार मण्डल मोही तहसील राजसमन्द में स्थित खाता संख्या 583 सम्वत् 2077 में दर्ज आराजी संख्या 11882, 1893/4, 2118, 2123 कुल किता 4 कुल रकबा 0.8580 लगान 32.25 का विभाजन, विभाजन योजना के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :–

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	धापुबाई पत्नि गंगाराम हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता कॉर्पोरेशन बैंक शाखा राजसमन्द	1882/2 2118/2 2123/1	0.0616 0.0631 0.0388	चाही 2 चाही उ. चाही उ.	1.90 3.12 1.92
	योग	**किता 3**	**0.1635**	—	**6.94**
2	नारायणलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता कॉर्पोरेशन बैंक शाखा राजसमन्द	1882/1 2123/2	0.1230 0.2040	चाही 2 चाही उ. 0.1878 बीड । 0.0162	3.80 9.28 0.06
	योग	**किता 2**	**0.3270**	—	**13.14**

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

3	मदनलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार	1882/3 2118/1	0.1230 0.2040	जाव 2 0.1214 चाही 2 0.0016 चाही उ.	1.87 0.05 10.08
	योग	**किता 2**	**0.3270**	**—**	**12.00**
4	धापुबाई पत्नि गंगाराम हिस्सा 1/5 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/5 खाता कॉर्पोरेशन बैंक शाखा राजसमन्द, नारायणलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 2/5 जाति माली सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 2/5 खाता कॉर्पोरेशन बैंक शाखा राजसमन्द, मदनलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 2/5 जाति माली सा. देह खातेदार	1893/4	0.0405	बारानी 2	0.17
	योग	**किता 1**	**0.0405**	**—**	**0.17**

उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारान के हिस्से पृथक–पृथक अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार राजसमन्द को विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस आशय से भेजी जावें कि उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन एवं अपील विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। उक्त निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

उक्त निर्णय आज दिनांक 05.05.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद